न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री छगन लाल गोयल, आर.ए.एस.

एफ एस प्रकरण संख्या 08/2018

प्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी
प्रवीण सिंह राजपुरोहित पुत्र देवीसिंह राजपुरोहित (एफबीओ/मालिक)
फर्म– मैसर्स श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड से पास, पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
गोदाम/नमूनीकरण– बिजलीघर के सामने वाली गली बस स्टेण्ड के पास, पीपाड़ शहर।
निवासी– गांव बीरमी बाडी, पीपाड़ शहर जिला जोधपुर। मूल निवासी– नारवा खुर्द, जिला नागौर।

–:आदेश :– **दिनांक :– 18.07.2018**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 19.10.2017 को श्री रजनीश शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म – फर्म– मैसर्स श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड से पास, पीपाड़ शहर जिला जोधपुर। गोदाम/नमूनीकरण– बिजलीघर के सामने वाली गली बस स्टेण्ड के पास, पीपाड़ शहर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान खाद्य पदार्थ मावा करीबन 5 किलोग्राम फ्रिजर के खण्ड में आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त मावे को एक किलोग्राम वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 260/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।

खरीदशुदा एक क्रिलोग्राम मावे के 250 ग्राम के चार बोटल पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम– 1660 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम– 1660 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम– 1660 सील चपड़ी किया उसका

मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई ।

उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना एम–1660 की जांच रिपोर्ट के अनुसार अमानक स्तर का होना पाया गया। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एफ एस एस एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है जो कि धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

हमने प्रकरण में प्रार्थी विभागीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद का अध्ययन किया तथा अप्रार्थी प्रवीणसिंह राजपुरोहित पुत्र देवीसिंह राजपुरोहित को इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 23.03.2018 को नोटिस अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2005 की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) को जारी किया था। अप्रार्थी बावजूद इत्तला तामिल नोटिस के अनुपस्थित रहा। इस प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 19.10.2017 को अप्रार्थी के प्रतिष्ठान पर आम जनता के उपयोग हेतु मावा एवं मिठाईयों का निर्माण वास्ते विक्रय कर रहे थे। दुकान का निरीक्षण करने पर करीबन 5 किलोग्राम आम जनता वास्ते विक्रय हेतु रखा था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट/अमानक स्तर का शक होने पर इसकी जांच एफ एस एस से करवाई गई। पब्लिक हेल्थ लेबोरेट्री जोधपुर राजस्थान की रिपोर्ट क्रमांक एल एस/1132/एक्ट/2017/1133 दिनांक 29.11.2017 के द्वारा दूध से बने मावा सबस्टैण्र्ड होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लघन किया है जो कि धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माना योग्य अपराध है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थय की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्देश्य है।

पत्रावली पर एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 1133 दिनांक 29.11.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) एवं धारा 51 का दोषी हैं। अप्राथी पर शास्ती रूपये 20,000/– अक्षरे रूपये बीस हजार की आरोपित की जाती हैं अप्राथी प्रवीण सिंह राजपुरोहित पुत्र देवीसिंह राजपुरोहित उपरोक्त शास्ती राशि निर्णय के एक माह के अंदर–अंदर निर्धारित मद में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2018 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

क्रमांकः कोर्ट/एडीएम(प्रथम)/2018/ दिनांक :–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. प्रवीण सिंह राजपुरोहित पुत्र देवीसिंह राजपुरोहित। फर्म– मैसर्स श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड से पास, पीपाड़ शहर जिला जोधपुर। गोदाम/नमूनीकरण– बिजलीघर के सामने वाली गली बस स्टेण्ड के पास, पीपाड़ शहर। निवासी– गांव बीरमी बाडी, पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

(छगन लाल गोयल)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।